

श्रीलंका का 20वाँ संविधान संशोधन पारति

प्रलिस के लयि:

भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रया

मेन्स के लयि:

श्रीलंका का 20वाँ संविधान संशोधन और भारत के हति

चर्चा में क्यों?

श्रीलंका की संसद ने दो-दविसीय बहस के बाद दो-तह्राई बहुमत के साथ वववादास्पद 20वाँ संविधान संशोधन पारति कर दया है ।

प्रमुख बडु:

- 20वाँ संविधान संशोधन पारति कराना वधायकल में राजपक्षे प्रशासन की पहली बड़ी परीक्षा थी क्योंकि इसने न केवल राजनीतक वरौध, बल्क श्रीलंका की दक्षणी राजनीतक को प्रभावत करने वाले प्रभावशाली बौद्ध गुरुओं की चतल और प्रतरौध को भी जनम दया ।
- श्रीलंका की संसद के 225 सदस्यीय सदन में 156 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान कया, जबक 65 वधायकों ने इस वधयक के खललफ मतदान कया ।
- गौरतलब है क आठ वपिक्षी सांसदों ने कानून के पक्ष में मतदान कया, जबक उनकी पारटयों और नेताओं ने न केवल इसका वरौध कया है बल्क इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।
- वपिक्षी दलों और सवलल सोसाइटी समूहों द्वारा दायर की गई 39 याचकलओं के बाद श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने नरिधारत कया क कानून पारति होने के लयि केवल दो-तह्राई बहुमत की आवश्यकता होती है, परंतु इस कानून के चार खंडों को पारति करने के लयि एक जनमत संग्रह के माध्यम से अतरकित्त सार्वजनक स्वीकृता की आवश्यकता है ।

20वाँ संविधान संशोधन से संबंधत प्रावधान:

- 2 सतंबर, 2020 को श्रीलंका सरकार ने संविधान संशोधन का एक मसौदा प्रकाशत कया था, जसके माध्यम से राष्ट्रपतकी शक्तयों पर अंकुश लगाने वाले 19वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को बदलने के लयि वधायी प्रक्रया भी शुरू की गई थी ।
- हाल ही में पारति संविधान संशोधन तकरीबन 42 वर्ष पूर्व श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री जे.आर. जयवर्धने द्वारा लागू कये गए श्रीलंका के संविधान में 20वाँ संशोधन है ।
- पारति संविधान संशोधन में संवैधानक परषद को संसदीय परषद में बदलने का प्रावधान कया गया है । मौजूदा नयिमों के अनुसार, संवैधानक परषद के नरिणय राष्ट्रपत के लयि बाध्यकारी हैं, कतु पारति संसदीय परषद के नरिणय मानने के लयि राष्ट्रपत बाध्य नहीं है ।
- संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रमंडल और अन्य मंत्रयों की नयुकृता एवं बरखास्तगी में प्रधानमंत्री की सलाह की आवश्यकता से संबंधत प्रावधान को हटा दया गया है । साथ ही अब श्रीलंका में प्रधानमंत्री की बरखास्तगी संसद के वरिवास पर नहीं बल्क राष्ट्रपत के ववक पर नरिभर करेगी ।
- पारति संशोधन के तहत राष्ट्रपत को कुछ सीमत परस्थतयों के अलावा संसद की एक वर्ष की अवध के बाद उसे भंग करने के संबंध में नरिणय लेने की शकृता दी गई है, जसका अर्थ है क संसद की एक वर्ष की अवध की समापत के बाद राष्ट्रपत उसे कसी भी समय भंग कर सकता है ।
- पारति संशोधन में कसी भी वधयक को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व आम जनता के लयि प्रकाशत करने की अवध को 14 दन से घटाकर 7 दन कर दया गया है ।

संविधान संशोधन के वरिधयों का पक्ष:

- श्रीलंकाई संसद में दो दविसीय बहस के दौरान वपिक्षी सांसदों ने तरक दया क इस संशोधन ने राष्ट्रपत को बेलगाम अधकार देते हुए देश को सत्तावाद के रास्ते पर ले जाने की राह प्रस्तुत की है, जबक सरकार के सांसदों ने बेहतर प्रशासन के लयि केंद्रीकृत शकृता की आवश्यकता पर ज़ोर

दिया।

- 20वाँ संविधान संशोधन ऐसे समय में पारित किया गया है जब देश COVID-19 की एक नई लहर का सामना कर रहा है, जिसमें मामलों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है।
- 20वाँ संविधान संशोधन संवैधानिक परिषद की बहुलवादी और वचिरशील प्रक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र संस्थानों के लिये महत्त्वपूर्ण नयिकृतियों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों पर बाध्यकारी सीमाओं को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- श्रीलंका के कई कानून विशेषज्ञों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से देश की संस्थाओं के राजनीतिकरण का प्रयास कर रही है, जबकि इन्होंने राजनीतिक दायरे से स्वतंत्र कर आम नागरिकों के कल्याण के लिये गठित किया गया था।
- सरकार द्वारा किये जा रहे ये संविधान संशोधन जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही को प्रभावित करेंगे और श्रीलंका के संविधान में नहिति लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष चुनौती उत्पन्न करेंगे।
- संवैधानिक नयित्रण और संतुलन के सिद्धांत की समाप्ति से सार्वजनिक धन के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी उपयोग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

भारत का पक्ष:

- भारत ने श्रीलंका के 20वें संविधान संशोधन को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही भारत द्वारा बयान जारी करने का कोई अनुमान है, क्योंकि यह संशोधन पूरी तरह से श्रीलंका का आंतरिक मामला है।
- हालाँकि भारत सरकार नशित्ति रूप से श्रीलंका के घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि 20वें संशोधन के प्रावधान स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी सहिली भावनाओं को प्रकट करते हैं। ऐसे में यह घटनाक्रम भारत-श्रीलंका के दीर्घकालिक संबंधों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
- हालाँकि भारत के दृष्टिकोण से [19वें संविधान संशोधन](#) से ज़्यादा 13वाँ संविधान संशोधन महत्त्वपूर्ण है। इसी वर्ष फरवरी माह में जब श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिदा राजपक्षे भारत के दौरे पर आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया था कि श्रीलंका को 13वें संशोधन के कार्यान्वयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ध्यातव्य है कि 13वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का हटना श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों के लिये एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकता है।

स्रोत- द दृष्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sri-lanka-controversial-20th-amendment>

